(29)

पत्रांक: 124 दिनांक: 5-7-10

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत नासरीगंज।

पं०---जी
13/7/10

सेवा में,

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी/अधिभार
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा
महालेखाकार का कार्यालय, बिहार, पटना।

विषय :- अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 619/2007-10, निधि नगर पंचायत नासरीगंज वर्ष 2007-08 से 2008-09 का अनुपालन प्रतिवेदन।

प्रसंग :- भवदीय पत्रांक सं० स्था० ल०/अधि/2353 दिनांक 10.2.10

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करते हुए कहना है, कि नगर पंचायत नासरीगंज का वर्ष 2007-08 से 2008-09 तक किये गये अंकेक्षण में पायी गयी आपत्ति का कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन निम्नांकित है।

| | | अनुपालन प्रति०-1 |
|---|---|---|
| कंडिका 1 | प्रस्तावना — | प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं है। |
| " 2 | प्रशासन — | " " |
| " 3 | अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र - | " " |
| " 4 | अंकेक्षण की प्रमुख उपलब्धियाँ | — क्रम सं० 1 कंडिका 8 - अनुदान पंजी का संधारण कर लिया गया है जिसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा। अतएव इसे निरस्त किया जाय। |
| | कंडिका - 11 | क्र० सं० 2 - भा० सं० 58 दि० 31.3.10 द्वारा 2520/- एवं भा० ---- रसीद सं० 222 से 2--- की वसूल की राशि भा० सं० 56 दिनांक 31.3.10 द्वारा 6160=00 कुल 8680/- निकाय के खाता में जमा कर दिया गया है। अतएव इसे निरस्त किया जाय। |
| | कंडिका - 11 | क्र० सं० 3 - अंकेक्षण के दौरान 310 रु० निकाय कोष में जमा करा दिया गया है। अतएव इसे निरस्त किया जाय। |

Officer

मु० 4/10-1
14/7/10

पं०शि०
1503
13/7/10

850 30

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] — [illegible]

[illegible] 30.12.2010 [illegible]

[illegible]

[illegible] 2323 [illegible] — [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 00.8008 से 31.03.2008 [illegible]

[illegible]

[illegible] — [illegible] 1 [illegible]

[illegible] 2

[illegible] 3

[illegible] 4

[illegible]

[illegible]

[illegible]

क्र०सं० 4 कंडिका 12 - वर्ष 2007-08 में टिन टीकर की वसूली हेतु कार्यालय द्वारा काफी प्रयास किया गया था. कर्मियों के अभाव एवं डाकवाहकों की उपलब्धि नहीं होने के कारण वर्ष 2007-08 में टिन टीकर की वसूली नहीं हो सकी। यही वजह वर्ष 2008-09 में भी हुआ कि इस वर्ष में भी वसूली नहीं हो सकी। टिन टीकर की वसूली के लिये प्रयास किया जा रहा है। अतएव इसे निरस्त करने की कृपा की जाय।

क्रमांक 5 कंडिका 13 - वर्ष 2008-09 से भवन करारोपण किया गया है, जिसकी वसूली जारी है. इसके अतिरिक्त ट्रेड लाइसेन्स, विज्ञापन कर एवं पैलोना का भी वसूली जारी है। अतएव इसे निरस्त करने की कृपा की जाय।

क्रम सं० 6 कंडिका 16(i) - योजना सं० 02/06-07 में अग्रिम के व्यय राशि (M.B के अनुसार) से समायोजन के पश्चात् अवशेष राशि 10,289=00 की वसूली हेतु नोटिस किया गया है यदि जमा नहीं किया जाता है तो अभिकर्त्ता के वेतन से कटौती या अगला अंकेक्षण में वसूली प्रस्तुत किया जायेगा।

योजना सं० वार्ड नं० 6 में योजना सं० 3/04-05 अग्रिम राशि 45642=00 में 23000/- निकाय कोष में जमा करा दिया गया है शेष राशि 22642/- वसूली हेतु नोटिस जारी किया गया। वसूली नहीं होने पर F.I.R दर्ज करा दिया जायेगा।

योजना सं० वार्ड नं० 8 में 65/06-07 में अवशेष राशि की वसूली हेतु अभिकर्त्ता के विरुद्ध नोटिस जारी किया गया

योजना सं० 9/06-07 को भी अवशेष राशि वसूली हेतु नोटिस जारी किया गया। दोनो योजना का अवशेष राशि वसूली नहीं होने पर अभिकर्त्ता के विरुद्ध FIR दर्ज करा दिया जायेगा। जिसे अगला अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा। अतएव इसे निरस्त किया जाय।

कंडिका - 5 आंतरिक अंकेक्षण - नगर पंचायत द्वारा भी आंतरिक अंकेक्षण कराया जा रहा है। अतएव इसे निरस्त किया जाय।

ह० 30

Ajanta Products Officer

कंडिका 6(ii) - अन्तरशेष — रोकड़पाल रोकड़बही और बैंक खाताओं में अंतर राशि 50771=58 का समाधान कर लिया गया है, जिसे अगला अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा। अतएव इसे निरस्त किया जाय।

कंडिका 7 रोकड़बही — अंकेक्षण द्वारा दिये गये सुझाव एवं आपत्ति का समाधान कर लिया गया है जिसे अगला अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा। अतएव इसे निरस्त किया जाय।

कंडिका 8 अनुदान — अनुदान पंजी तैयार कर ली गयी है, जिसे अगला अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा। अतएव इसे निरस्त किया जाय।

कंडिका 9 बजट प्राक्कलन — निकाय का बजट प्रत्येक वर्ष का तैयार कर प्रावधान के अनुसार बजट की प्रति सरकार को भेज दी जाती है। अंकेक्षण में दिये गये सुझाव के अनुसार बजट बनाने एवं स्वीकृत कराने की प्रक्रिया की जायेगी।

कंडिका 10 - कोषागार में पी० एल० खाता का संधारण — पी० एल० खाता खोलने हेतु सचिव के संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग पटना से पत्र द्वारा कई बार अनुरोध किया गया है जिसकी प्रति महालेखाकार कार्यालय में दी गयी है, लेकिन प्राधिकार पत्र आज तक प्राप्त नहीं होने के कारण पी० एल० एकाउन्ट नहीं खोला जा सका है। प्राधिकार पत्र प्राप्त होने पर पी० एल० एकाउन्ट शीघ्र खोल लिया जायेगा। अतएव इसे निरस्त किया जाय।

कंडिका 11 कम/नहीं जमा — पृष्ठ 1 पर प्रतिवेदन (क्रमांक-3[illegible]) देखें।

कंडिका 12 टिन/टिकट — पृष्ठ-2 पर प्रतिवेदन देखें।

कंडिका 13 करों एवं शुल्क का अधिरोपण नहीं — पृष्ठ 2 पर प्रतिवेदन देखें।

ह० 30.

Ajanta Products Officer

कण्डिका-14- लागत विन आयोग — अंकेक्षण द्वारा दिये गये निर्देश/सुझाव के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। अतएव इसे निरस्त किया जाय।

कण्डिका 14(ii) लागत विनियोग के अंतर्गत स्ट्रीट लाईट का क्रय —

1. नगर पंचायत सिकन्दरा में स्ट्रीट लाईट के क्रय से संबंधित अभिलेखों का लेखा प्रति उपलब्ध करा लिया गया है जिसे अगला अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा।
2. क्रय किया गया सभी C.F.L बल्ब एवं अन्य सामग्री का भंडारण करा लिया गया है जिसे अगला अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा।
3. स्ट्रीट लाईट जिन स्थानों पर लगाया गया है, उसकी सूची संचिका में उपलब्ध है, अगला अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा।
4. कुल इस प्राइवेट द्वारा बदला गया बल्ब का सूची उपलब्ध है जिसे अगला अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा।

15 निधि का अवरोधन :— प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु सरकार से 28,87,875=10 का आवंटन प्राप्त है जिसका प्राक्कलित राशि 3850500 है। पुराना प्राक्कलन होने के कारण पुनः प्राक्कलित राशि में नये दर के अनुसार 20% की वृद्धि हेतु सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है जिसके अनुसार टेंडर का प्रकाशन किया जा रहा है जिसे अगला अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा। अतएव इसे निरस्त किया जाय।

16(i),(ii) प्रपत्र-2 पर प्रतिवेदन अंकित है। शेष सुझाव का अनुपालन किया जा रहा है।

17 टेंडर जमा से संबंधित चालान अप्राप्त - जमा किया गया टेंडर की राशि का पावती रसीद का मांग संबंधित पदाधिकारी से की गयी है। प्राप्त होने पर अगला अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा।

18. लेखा बल एवं कार्यरत बल :- नियुक्ति आदि की सीमाओं से प्राप्त होने पर, कर्म लेखा बल पर अतिशीघ्र बहाली कर ली जायेगी। इसके लिये सरकार से अनुमति माँगी गई है।

19. अप्रस्तुत अभिलेख — अगला अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

20. अग्रिम — अग्रिम का समायोजन कर लिया गया है जिसको अगला अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा। अतएव इसे निरस्त किया जाय।

अतएव पूर्ववर्ती एवं अनुरोध है कि उक्त आपत्ति को निरस्त करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत नासरीगंज

5/7/10

ज्ञापांक 124 दिनांक 5-7-10

प्रतिलिपि :- सरकार के उप सचिव सह निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना को सेवा में सूचनार्थ समर्पित।

5-7-10

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत नासरीगंज

5/7/10